(560)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सम्भाग उज्जैन

प्रकरण क्रमांक 1016 निगरानी निग – 3596-PBR-16

नोशेर मो. पिता मुन्शी महोम्मद आयू 56 ,निवासी जामुनिया तह. सुसनेर जिला आगर–मालवा, सम्भाग उज्जैन

विरूद्ध

1 मकसूद महोम्मद पिता मुन्शी महोम्मद

2 अयाज महोम्मद पिता मुन्शी महोम्मद

3 ऐजाज महोम्मद पिता मुन्शी महोम्मद

4 आलिया खातून वि. मुन्शी महोम्मद

5 शहनाज बी पति अकरम खान

सभी निवासी जामुनिया तहसील सुसनेर जिला आगर–मालवा, सम्भाग उज्जैन

श्रीमती अस्मा खान द्वारा आज दि. 17-10-16 प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 17-10-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

281 17-10-16

माननीय महोदय,

रिविजन धारा 50 म.प्र. भू राजस्व सहिता के अर्न्तगत प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2008–09 आदेश दिनांक 14.01.2016 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर –नलखेडा के आदेश के विरूद्ध।

संषिप्त विवरण–

1 आवेदक को अपनी दादी के द्वारा यह संम्पत्ति रजिस्ट्री के द्वारा दि गई थी जिसके लिये सिविल न्यायालय स्व धोषणा एवं अधिपत्य के लिये एक वाद प्रस्तुत किया था। जो अपर सत्र न्यायालय के द्वारा डिग्री किया गया । माननीय उच्च न्यायालय में अपील होने पर सशर्त स्थगन आदेश दिया, यदि अनावेदकगण वासलात कि राशि 10,000/– रू. प्रति वर्ष जमा करे तो स्थगन जारी रहेगा। अनावेदकगण ने केवल तीन वर्ष की वासलात राशि जमा की इसके पश्चात् अन्तरिम लाभ जमा नही किया एवं स्थगन आदेश केवल अन्तिम तारिख तक के लिये दिया गया था अन्तिम तारिख 28.12.2015 को हो चुकी है।

2 आवेदक ने एक आवेदन पत्र तहसीदार महोदय के यहा प्रस्तुत किया जो निरस्त

560

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3596-पीबीआर/16 **जिला** - आगर मालवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	